



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052021-226986
CG-DL-E-13052021-226986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]
No. 261]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 13, 2021/वैशाख 23, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 2021/VAISAKHA 23, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2021

सा.का.नि. 327(अ).—वायुयान नियम, 1937 को संशोधित करने हेतु कुछ नियमों का प्रारूप, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 के तहत अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 42 (अ.), दिनांक 25 जनवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए;

और उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट वाले राजपत्र की प्रतियां, तारीख 25 जनवरी, 2021 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं।

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5, धारा 10 की उप-धारा(2), धारा 10क तथा धारा 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में:-

- (i) नियम 3 में, उपबंध (47ख), (47ग), (47घ) और (47ङ) का लोप किया जाएगा;
- (ii) नियम 3ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:—

“3ख. अपीलें — (1) (i) इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस मामले में अधिकारिता रखने वाले किसी अपील अधिकारी और ऐसे आदेश को पारित करने वाले अधिकारी से अगले उच्च स्तर के अधिकारी को, आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीस दिनों न के अवधि के भीतर, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) अपील अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, जैसा ठीक समझे वैसा आदेश पारित कर अपील किए गए आदेश को पुष्ट, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं।

(2) (i) यदि, उप-नियम (1) के अधीन, अपील अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है, तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध इस मामले में अधिकृत किसी वरिष्ठ अपील अधिकारी को उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीस दिन के अवधि के भीतर, अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) उक्त अपील अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि उप-खंड (i) में निर्दिष्ट है, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, जैसा ठीक समझे वैसा आदेश पारित कर अपील किए गए आदेश को पुष्टीकरण, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं।

(3) उप-नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, -

(i) महानिदेशक द्वारा आदेश पारित किये जाने के मामले में, यह अपील नागर विमानन मामलों से संबंधित मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव को की जाएगी और उक्त सचिव द्वारा पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई और अपील नहीं की जाएगी।

(ii) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 10क के उपबंधों और इन नियमों के नियम 162 के अधीन, अपील अधिकारी द्वारा पारित शास्ति अधिरोपित आदेश के विरुद्ध कोई और अपील नहीं की जाएगी।

(iii) इस नियम के अधीन, वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 5क और इन नियमों के अधीन जारी किए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय नहीं की जाएगी।

(iii) नियम 15क को लोप किया जाएगा;

(iv) नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:—

“20. कतिपय नियम जो ग्लाइडरों और पतंगों पर लागू नहीं हैं — नियम 7 ग्लाइडरों पर लागू नहीं होगा, और नियम 26 के अपवाद के साथ, नियम 5, 6, 7, 12, 15, 17, 19 एवं भाग III में अन्य नियम पतंगों पर लागू नहीं होंगे।”;

(v) नियम 161 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:—

“161. अपराध और शमन — (1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 10 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार निदेश करती है कि, कोई भी व्यक्ति जिसने इन नियमों की अनुसूची VIक की सारणी 1 में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी नियम का भंग किया है उसे उक्त अनुसूची के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट शास्ति के साथ दंडनीय होगा, के अनुसार दंडित किया जाएगा।

(2) यह उल्लंघन या चूक ऐसे कारकों या परिस्थितियों के कारण हुए हैं, जो उक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर था, जैसे कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट है, या उसके जानकारी या दोष के बिना हुआ है, तो इस तर्क को इन नियमों के उल्लंघन या इनका पालन करने में असफल होने पर किए जाने वाले कार्यवाही की सफाई के तौर पर पालन किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण - संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि इस उप-नियम के पक्ष के लिए, वाक्यांश 'कारकों या परिस्थितियों' में खराब मौसम, वास्तविक भूल या कोई अन्य अपरिहार्य कारण या परिस्थितियाँ शामिल हो सकते हैं।

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 12क के उपबंधों के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क, 11ख, एवं धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध, तथा इन नियमों की अनुसूची VIक में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार, महानिदेशक या उक्त अधिनियम की धारा 4क की उप-धारा (4) के अंतर्गत विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा, उक्त अनुसूची में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, शमन किया जा सकता है।

162. शास्तियां — (1) कोई भी व्यक्ति, जिसने इन नियमों की अनुसूची VIख में यथा विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति यथास्थिति नियम का उल्लंघन वह नामित अधिकारियों द्वारा, उक्त अनुसूची में यथा निर्धारित सीमा तक किया है, और वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 10क के उपबंधों के अनुसार, शास्ति लगाए जाने का पात्र होगा।

(2) शास्ति का निर्णय अभिहित अधिकारियों या अपीलीय अधिकारी द्वारा, उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से, अधिकथित जाएगा।”;

(vi) अनुसूची VI के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियों को रखा जाएगा, अर्थात:—

अनुसूची VI-क

(नियम 161 देखें)

अपराधों का दण्ड एवं उनका शमन

1. वायुयान नियम, 1937 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध जिसके तहत दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक करोड़ तक का शास्ति या दोनों की सज़ा हो सकती है, और जिनके शमन की राशि इस प्रकार है :-

क्र. सं.	अपराध की प्रकृति	सुसंगत नियम	व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के शमन की राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रजस्ट्रीकरण के बिना विमान चलाना	नियम 5 की धारा(क)	पच्चीस लाख
2.	नियम 5-क के धारा (1) का उल्लंघन	नियम 5-क का खंड(1)	पच्चीस लाख
3.	(उड़ान प्रशिक्षण संगठन के छात्र पायलट को छोड़ कर) इन नियमों के तहत अनुज्ञप्ति नहीं दिए गए	नियम 6	बीस लाख

	किसी व्यक्ति द्वारा नियम 6 का अननुपालन		
4.	नियम 7-क के अधीन भी उपबंधों का गैर-अननुपालन	नियम 7-क	पाँच लाख
5.	नियम 8 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 8 का उप-नियम(1)	गैर-शमनीय
6.	नियम 12 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 12 का उप-नियम(1)	पाँच लाख
7.	अनुज्ञा के बिना उड़ते हुए विमान से हवाई सर्वेक्षण फोटोग्राफी करना।	नियम 13	दो लाख
8.	नियम 21-क का उल्लंघन	नियम 21क	पाँच लाख
9.	नियम 22 के खंड (क) का उल्लंघन	नियम 22 की खंड (क)	पचास हज़ार
10.	नियम 22 के धारा (ख) का उल्लंघन	नियम 22 की खंड (ख)	पच्चीस हज़ार
11.	नियम 23 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 23 का उप-नियम(1)	एक लाख
12.	उड़ान के दौरान मादक और मनः प्रभावि पदार्थ की खपत	नियम 24 का उप-नियम(1)	गैर अशमनीय
13.	यात्री द्वारा नियम 24 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 24 का उप-नियम(2)	पच्चीस हज़ार
14.	नियम 25 के उप-नियम (3) का उल्लंघन	नियम 25 का उप-नियम(3)	दस हज़ार
15.	अनुज्ञा के बिना विमान के अनधिकृत भाग में व्यक्तियों को वाहन करना	नियम 27	बीस लाख
16.	नियम 28 का उल्लंघन करते हुए वायुयान उड़ान	नियम 28	पाँच लाख
17.	नियम 29 के उपबंधों का उल्लंघन	नियम 29	एक लाख
18.	नियम 41-ख के उप-नियम (1) का उल्लंघन करते हुए अस्वीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना	नियम 41-ख का उप-नियम(1)	पच्चीस लाख

19.	नियम 39-क के उप-नियम(3) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति अभ्यार्पण न करना	नियम 39-क का उप-नियम(3)	पचास हजार
20.	नियम 65 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 65 का उप-नियम(1)	पाँच लाख
21.	नियम 65 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 65 का उप-नियम(2)	एक लाख
22.	कृत्रिम बत्तियों को बुझाने या ढकने/कम करने के आदेश का अनुपालन न करना	नियम 66	दो लाख
23.	नियम 90 के उप-नियम (1) का उल्लंघन.	नियम 90 का उप-नियम(1)	पचास हजार
24.	नियम 90 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 90 का उप-नियम(2)	दो लाख
25.	अनुज्ञा के बिना किसी अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा का संचालन करना	नियम 134 का उप-नियम(1)	पच्चीस लाख
26.	विशेष अनुज्ञा या गैर-अनुसूचित प्रचालक के परमिट के बिना किसी गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा का संचालन करना	नियम 134-क का उप-नियम(1) या (2)	पंद्रह लाख
27.	नियम 134-ख के उप-नियम (1) का अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र या अनुमोदन रहित किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन	नियम 134-ख का उप-नियम(1)	पाँच लाख
28.	नियम 157 के उपबंधों का उल्लंघन	नियम 157	दस लाख
29.	नियम 158 का उल्लंघन	नियम 158	दस लाख
30.	नियम 158-क का उल्लंघन	नियम 158 क	दस लाख
31.	वायुयान नियम, 1937 के उपबंधों के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपने शक्ति/अधिकार के प्रयोग में अथवा कर्तव्य-निर्वहन में बाधा देना	नियम 159	पाँच लाख

2. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 के 22) के धारा 10, 11, 11-क, 11-ख और 12 के तहत दण्डनीय अपराधों की शमन की रकम -

सारणी-2

क्र. सं.	अपराध और सुसंगत धारा	व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के शमन की राशि (रु. में)
1.	धारा 10 के उप-धारा (1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध (हथियार और विस्फोटक साथ रखने संबंधित अपराधों को छोड़कर)	पच्चीस लाख
2.	धारा 10 के उप-धारा (1-क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध	पच्चीस लाख
3.	धारा 11 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध	पच्चीस लाख
4.	धारा 11-क के अंतर्गत दण्डनीय अपराध	पच्चीस लाख
5.	धारा 11-ख के अंतर्गत दण्डनीय अपराध	पच्चीस लाख
6.	अपराधों के अपशमन के लिए शास्ति और धारा 12 के अधीन अपराधों को प्रयासित	ऐसे अपराधों के लिए उपबंधित की गई रकम

3. जहां इस प्रकार के अपराध संगठन द्वारा किए गए हो, प्रशमन की रकम निम्नानुसार होगी -

सारणी 3

उल्लंघन करने वाले संगठन का प्रकार	कर्मचारियों की संख्या	अपराध के प्रशमन की रकम (रु. में)
संगठन (छोटा)	पचास कर्मचारी तक	पैरा 1 और 2 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए उपबंधित की गई राशि का 200%, जैसा लागू हो
संगठन (मध्यम)	पचास से अधिक और सौ से कम कर्मचारी	पैरा 1 और 2 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए उपबंधित की गई राशि का 300%, जैसा लागू हो
संगठन (वृहद)	सौ से ज़्यादा कर्मचारी	पैरा 1 और 2 में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराधों के लिए उपबंधित की गई राशि का 400%, जैसा लागू हो

टिप्पण —

1. "व्यष्टिक" से प्रकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है।
2. "संगठन" से अभिप्रेत है जो निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम है, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं।

3. "कर्मचारी" से अभिप्रेत है निगमित कोई भी व्यक्ति जिसे संगठन द्वारा संवीदात्मक के अधीन, अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त, कार्यरत या काम में लगाया गया हो।

4. अपराधों के प्रशमन की प्रक्रिया -

(क) आवेदक द्वारा अपराध के प्रशमन के लिए महानिदेशक द्वारा अधिकथित रूप से एक हजार के फीस सहित प्ररूप-क में महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से शक्तिप्राप्त किसी अन्य अधिकारी को आवेदन करेगा।

(ख) प्रशमन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसा अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और आवेदन की विषयवस्तु के आधार पर आवेदन की जांच करेगा।

(ग) ऐसा अधिकारी आवेदक से प्रशमन की प्रक्रिया के लिए सुसंगत समझे गए किसी सूचना, अभिलेख या किसी अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है। यदि उल्लंघनकर्ता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिरिक्त जानकारी या अभिलेखों को प्रस्तुत करने में चूक जाता है, तो प्रशमन हेतु के लिए आवेदन को अस्वीकृति किया जा सकता है।

(घ) ऐसा अधिकारी मामले के सभी संबंधितों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा।

(ङ.) प्रशमन की प्रक्रिया के दौरान, ऐसा अधिकारी आवेदक को सुने जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पैरा-1, 2 और 3 के अनुसार अपराध के शमन की रकम का अवधारण करेगा और जहां आवेदक को इस राशि के संबंध में ऐसे अधिकारी का निर्णय स्वीकार्य नहीं है, तो आवेदक तीन दिनों में भीतर या ऐसे अधिकारी द्वारा अवधारित युक्तियुक्त अवधि के भीतर ऐसे अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

(च) आवेदक द्वारा अपना मत प्रस्तुत करने या युक्तिसंगत समय के भीतर प्रस्तुत न करने के पश्चात, प्रशमन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और इस मामले पर वायुयान अधिनियम, 1934 और इनके नियमों के उपबंधों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी इन प्रक्रियाओं के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(छ) प्रशमन की गई राशि का भुगतान प्रशमन के निर्णय के तीस दिन के भीतर महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा।

(ज) यदि कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिन के भीतर शमन की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने वायुयान अधिनियम, 1934 और इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रशमन के लिए कोई आवेदन कभी नहीं किया है।

(झ) अपराधों की प्रशमन की प्रक्रिया को तीव्रता के साथ पूरा किया जाएगा और ऐसा आवेदन की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा। आपवादिक परिस्थितियों में महानिदेशक द्वारा साठ दिन की इस अवधि को नब्बे दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

प्ररूप-क (नियम 161 देखें) अपराधों के प्रशमन के लिए आवेदन		
1.	आवेदक का नाम	
2.	पता	
3.	ई-मेल	
4.	दूरभाष	
5.	प्राधिकारी जिसके समक्ष मामला लंबित है	

6.	धाराओं या नियमों का उल्लंघन	
7.	मामले के संक्षिप्त विवरण	
8.	सुसंगत मामले या कोई अन्य सूचना	
9.	आवेदक की याचना	
10.	फीस और संव्यवहार ब्यौरे	
11.	संलग्नक, यदि कोई हो	

सत्यापन

मैं _____, आवेदक, घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

अनुसूची VIख

शास्तियां

(नियम 162 देखें)

1. उल्लंघन और दंड की गंभीरता के स्तर का वर्गीकरण और उसपर लगाई गई शास्ति —

सारणी 1

क्रम संख्या	गंभीरता स्तर (रुपयों में)	व्यष्टिक	संगठन (लघु)	संगठन (मध्यम)	संगठन (वृद्ध)
			पचास कार्मिकों तक	पचास से अधिक और सौ कर्मचारियों तक	सौ से अधिक कार्मिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	स्तर 1	दस हज़ार	पचास हज़ार	पचहत्तर हज़ार	एक लाख
	स्तर 2	बीस हज़ार	एक लाख	एक लाख पचास हज़ार	दो लाख पचास हज़ार
	स्तर 3	पचास हज़ार	दो लाख	तीन लाख	पाँच लाख
	स्तर 4	पचहत्तर हज़ार	तीन लाख	पाँच लाख	दस लाख

	स्तर 5	एक लाख पचास हजार	पाँच लाख	दस लाख	बीस लाख
	स्तर 6	तीन लाख	सात लाख पचास हजार	पंद्रह लाख	तीस लाख
	स्तर 7	पाँच लाख	दस लाख	पचीस लाख	पचास लाख
	स्तर 8	दस लाख	बीस लाख	पैंतीस लाख	सत्तर लाख
	स्तर 9	बीस लाख	पैंतीस लाख	पचास लाख	पचासी लाख
	स्तर 10	पचीस लाख	पचास लाख	पचहत्तर लाख	एक करोड़

टिप्पण —

1. "व्यष्टिक" प्रकृत एक व्यक्ति से अभिप्रेत है।
 2. "संगठन" से अभिप्रेत है जो निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम है, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं।
 3. "कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो कोई भी व्यक्ति जिसे संगठन द्वारा संविदात्मक के अधीन, अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त, कार्यरत या काम में लगाया गया हो।
2. यथास्थिति, अभिहित अधिकारियों या अपील अधिकारी द्वारा शास्ति रकम के अवधारण के लिए नियम (ओं) का उल्लंघन और उसके अनुसार उनकी गंभीरता का स्तर।

सारणी 2

क्रम संख्या	उल्लंघन की प्रकृति	सुसंगत नियम	उल्लंघन / अतिक्रमण / अननुपालन की गंभीरता का स्तर
1.	राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रीकरण के निशान के बिना वायुयान का उड़ाना।	नियम 5 का खंड (ख)	स्तर 10
2.	नियम 5 क के खंड (2) के अधीन निषिद्ध क्षेत्र में विमान का उड़ाना।	नियम 5क का खंड (2)	स्तर 5
3.	किसी व्यक्ति द्वारा नियम 6 का अननुपालन (छात्र अनुज्ञप्ति धारक को छोड़कर) इन नियमों के तहत अनुज्ञप्ति धारण करना, रेटिंग और चिकित्सक दृष्टया योग्यता मूल्यांकन, लेकिन उसकी विधिमान्यता की समय सीमा समाप्त हो गई है या उसी के विशेषाधिकारों को इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया है।	नियम 6	स्तर 5
4.	नियम 6 क का अननुपालन (छात्र पायलट अनुज्ञप्ति को छोड़कर)	नियम 6क	स्तर 5

5.	नियम 7 द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का वहन न करना।	नियम 7	स्तर 4
6.	कॉकपिट जांच सूची और आपात चेक जांच सूची का वहन न करना।	नियम 7ख	स्तर 4
7.	नियम 8 के उप-नियम (2) या (3) का अननुपालन।	नियम 8 का उप-नियम (2) या (3)	स्तर 6
8.	नियम 9 के उप-नियम (1) का उल्लंघन।	नियम 9 का उप-नियम (1)	स्तर 4
9.	नियम 11 के उप-नियम (1), (2) या (3) का उल्लंघन।	नियम 11 का उप-नियम (1), (2) या (3)।	स्तर 10
10.	नियम 12 के उप-नियम (2), (3) या (4) का उल्लंघन।	नियम 12 का उप-नियम (2), (3) या (4)।	स्तर 5
11.	बिना अनुज्ञा के सरकारी हवाईअड्डा में फोटोग्राफी करना।	नियम 13	स्तर 3
12.	हवाई काम के लिए वायुयान का अप्राधिकृत उपयोग।	नियम 14	स्तर 8
13.	नियम 15 के परंतुक के खंड (i) और / या उसका अननुपालन।	नियम 15 का परंतुक के या खंड (i)	स्तर 10
14.	नियम 15 के खंड (ii) या (iii) का अननुपालन।	नियम 15 का खंड (ii) या (iii)	स्तर 6
15.	नियम 15 के खंड (iv) का अननुपालन।	नियम 15 का खंड (iv)	स्तर 4
16.	हवाई नियमों का पालन नहीं करना।	नियम 16	स्तर 3
17.	विहित समय के भीतर नियम 17 द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना।	नियम 17	स्तर 2
18.	नियम 18 के उप-नियम (1) के तहत जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन।	नियम 18 का उप-नियम (1)	स्तर 8
19.	नियम 21 का उल्लंघन।	नियम 21	स्तर 8
20.	प्रचालक द्वारा नियम 24 के उप-नियम (2) का उल्लंघन।	नियम 24 का उप-नियम (2)	स्तर 10
21.	नियम 24 क, 24 ख या 24 ग का उल्लंघन।	नियम 24 क, 24 ख या 24 ग	स्तर 2
22.	नियम 25 के उप-नियम (1) या (2) का उल्लंघन।	नियम 25 के उप-नियम (1) या (2)	स्तर 2
23.	नियम 25 क के उप-नियम (1) का उल्लंघन।	नियम 25 क का उप-नियम (1)	स्तर 4
24.	नियम 25 क के उप-नियम (2) का उल्लंघन।	नियम 25 क का उप-नियम (2)	स्तर 3

25.	नियम 25 ख के उप-नियम (1) का उल्लंघन।	नियम 25 ख का उप-नियम (1)	स्तर 5
26.	नियम 25 ख के उप-नियम (2) का उल्लंघन।	नियम 25 ख का उप-नियम (2)	स्तर 4
27.	नियम 26 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन।	नियम 26	स्तर 7
28.	नियम 27 के उपबंध (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन।	नियम 27 का परंतुक (ख)	स्तर 6
29.	नियम 28 क के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हुए वायुयान का उड़ान भरना।	नियम 28 क	स्तर 7
30.	नियम 29 क का उल्लंघन।	नियम 29 क	स्तर 7
31.	नियम 29 ख के उप-नियम (1) का उल्लंघन।	नियम 29 ख का उप-नियम (1)	स्तर 7
32.	नियम 29 ख के उप-नियम (3) का अननुपालन।	नियम 29 ख के उप-नियम (3) का उपाबंध	स्तर 7
33.	नियम 33 के खंड (ख) के तहत अनुज्ञा प्राप्त किए बिना वायुयान को उड़ाना अथवा उसके उड़ान भरने में सहायता करना।	नियम 33 का खंड (ख)	स्तर 6
34.	नियम 37 के खंड (2) के उपखंड (ख) के अलावा नियम 37 के किसी भी उपबंध का अननुपालन नहीं करना।	नियम 37 के खंड (2) के उपखंड (ख) के अलावा	स्तर 2
35.	नियम 37 के खंड (2) के उप-खण्ड (ख) का अननुपालन।	नियम 37 के खंड (2) के उप-खण्ड (ख)	स्तर 7
36.	नियम 37 क के किसी भी उपबंध का उल्लंघन।	नियम 37 क	स्तर 6
37.	नियम 38 क के किसी भी उपबंध का अननुपालन।	नियम 38क का उप-नियम (1), (2) या (3)	स्तर 5
38.	नियम 38ख के उप-नियम (1), (2), (4) या (7) का अननुपालन।	नियम 38ख का उप-नियम (1), (2), (4) या (7)	स्तर 7
39.	नियम 38ख के उप-नियम (3), (5), (6) या (8) का अननुपालन।	नियम 38ख का उप-नियम (3), (5), (6) या (8)	स्तर 2
40.	नियम 40 का अननुपालन।	नियम 40	स्तर 1
41.	नियम 41 ख के उप-नियम (6) या (7) का अननुपालन।	नियम 41 ख का उप-नियम (6) या (7)	स्तर 3
42.	नियम 42 के उप-नियम (2) या (4) का अननुपालन।	नियम 42 का उप-नियम (2) या (4)	स्तर 4
43.	नियम 42 क के उप-नियम (2) का अननुपालन।	नियम 42 क का उप-नियम (2)	स्तर 3
44.	नियम 42 क के उप-नियम (3) का अननुपालन।	नियम 42 क का उप-नियम (3)	स्तर 9

45.	नियम 52 के उप-नियम (1) या (5) का उल्लंघन।	नियम 52 का उप-नियम (1) या (5)	स्तर 7
46.	वायुयान, वायुयान घटक और उपकरणों की मद के संबंध में अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रम या अनुमोदित रखरखाव प्रणाली का अननुपालन।	नियम 53 का उप-नियम (1)	स्तर 3
47.	अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन।	नियम 53 का उप-नियम (1)	स्तर 6
48.	नियम 53 के उप-नियम (2) का उल्लंघन।	नियम 53 का उप-नियम (2)	स्तर 4
49.	नियम 53 क का अननुपालन।	नियम 53 क	स्तर 6
50.	नियम 54 का अननुपालन।	नियम 54	स्तर 6
51.	नियम 57 के किसी भी उपाबंध का अननुपालन।	नियम 57	स्तर 5
52.	नियम 58 के उप-नियम (1) का अननुपालन।	नियम 58 के उप-नियम (1)	स्तर 3
53.	नियम 58 के उप-नियम (2) का उल्लंघन।	नियम 58 का उप-नियम (2)	स्तर 7
54.	नियम 59 के उप-नियम (1) का अननुपालन।	नियम 59 का उप-नियम	स्तर 5
55.	नियम 60 के उप-नियम (3) और (5) का उल्लंघन।	नियम 60 का उप-नियम (3) और (5)	स्तर 6
56.	नियम 60 के उप-नियम (4) का अननुपालन।	नियम 60 का उप-नियम (4)	स्तर 3
57.	नियम 63 के किसी भी उपाबंध का अननुपालन।	नियम 63	स्तर 5
58.	मुद्दे को नियंत्रित करने और लॉग पुस्तकों के रखरखाव के उपाबंधों का अननुपालन।	नियम 67	स्तर 4
59.	नियम 67 क के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन।	नियम 67क	स्तर 4
60.	नियम 67 कक का उल्लंघन।	नियम 67कक	स्तर 2
61.	लॉग बुक में किसी भी प्रविष्टि को नष्ट करना, उत्परिवर्तन आदि।	नियम 67ख	स्तर 4
62.	लॉग बुक में कोई भी मिथ्या और कपटपूर्ण प्रविष्टि डालना।	नियम 67ख	स्तर 6
63.	नियम 78 के उप-नियम (1), (1क) और (4) का उल्लंघन।	नियम 78 का उप-नियम (1), (1क) और (4)	स्तर 10
64.	नियम 81 के किसी भी उपाबंध का अननुपालन।	नियम 81	स्तर 3
65.	निरीक्षण के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति को प्रवेश न देना।	नियम 82 का उप-नियम (2)	स्तर 3
66.	नियम 83 के उप-नियम (2) का उल्लंघन।	नियम 83 का उप-नियम (2)	स्तर 6

67.	पर्याप्त अंकन के साथ किसी हवाईअड्डा को उपयुक्त स्थिति में बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अनुपयोगिता के लिए महानिदेशक को सूचित नहीं करना।	नियम 83 का उप-नियम (5)	स्तर 5
68.	नियम 93 के उप-नियम (1) का उल्लंघन।	नियम 93 का उप-नियम (1)	स्तर 10
69.	नियम 97 के उप-नियम (1) का उल्लंघन।	नियम 97 का उप-नियम (1)	स्तर 8
70.	नियम 98 का अननुपालन।	नियम 98	स्तर 6
71.	नियम 102 का उल्लंघन।	नियम 102	स्तर 3
72.	विधिमान्य चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता मूल्यांकन के अभाव में अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग।	नियम 105	स्तर 5
73.	नियम 106 के किसी भी उपाबंध का उल्लंघन।	नियम 106	स्तर 4
74.	नियम 107 के उप-नियम (1) का अननुपालन।	नियम 107 का उप-नियम (1)	स्तर 6
75.	नियम 108 का उल्लंघन।	नियम 108	स्तर 4
76.	नियम 113 का उल्लंघन।	नियम 113	स्तर 3
77.	नियम 114 के उप-नियम (2), (5) या (6) का अननुपालन।	नियम 114 का उप-नियम (2), (5) या (6)	स्तर 5
78.	नियम 115 के किसी भी उपाबंध का अननुपालन।	नियम 115	स्तर 5
79.	नियम 116 का अननुपालन।	नियम 116	स्तर 2
80.	नियम 117 का उल्लंघन।	नियम 117	स्तर 5
81.	किसी भी उप-नियम से संबन्धित संचार, दिक्चालन और स्थापित की जाने वाली वायु यातायात मैनेजमेंट उपकरण की सुविधा की निगरानी के लिए अनुज्ञा प्रदान करना अथवा अनुमति का कारण बनना या महानिदेशक द्वारा प्रमाणित किए बिना उपयोग करना।	नियम 119 का उप-नियम (1)	स्तर 6
82.	नियम 122 के किसी भी उपाबंध का अननुपालन।	नियम 122	स्तर 3
83.	नियम 125 के उप-नियम (2) या (4) का अननुपालन।	नियम 125 का उप-नियम (2) या (4)	स्तर 5
84.	नियम 126 का अननुपालन।	नियम 126	स्तर 2
85.	नियम 127 का अननुपालन।	नियम 127	स्तर 2
86.	नियम 128 के किसी भी प्रावधान का अननुपालन।	नियम 128	स्तर 5
87.	नियम 129 के किसी भी प्रावधान का अननुपालन।	नियम 129	स्तर 3
88.	नियम 130 के किसी भी प्रावधान का अननुपालन।	नियम 130	स्तर 2
89.	नियम 131 का अननुपालन।	नियम 131	स्तर 3

90.	नियम 133क के अधीन जारी निर्देशों का अननुपालन।	नियम 133क का उप-नियम (3)	इस मामले में वही उल्लंघन के लिए किसी नियम में शास्ति पहले ही प्रदान की गई थी तब उस नियम के लिए यथा विनिर्दिष्ट शास्ति अभिभावी होगी
91.	परीक्षण और निरीक्षण सहायताओं के लिए आवश्यक उपकरण सहित सुविधाओं के संबंध में नियम 133 ख के उप-नियम (2) का अननुपालन।	नियम 133 ख का उप-नियम (2)	स्तर 5
92.	अहित और प्रशिक्षित कर्मचारिवृंद के संबंध में नियम 133 ख के उप-नियम (2) का अननुपालन।	नियम 133 ख का उप-नियम (2)	स्तर 7
93.	नियम 133ख के उप-नियम (3) या (3 ख) के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उप-नियम (1) के खंड (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों का संचालन।	नियम 133ख के उप-नियम (3) या (3 ख)	स्तर 8
94.	नियम 133ख के उप-नियम (4) या (5) का अननुपालन।	नियम 133ख का उप-नियम (4) या (5)	स्तर 3
95.	नियम 133ख के उप-नियम (6) या (7) का अननुपालन।	नियम 133 ख का उप-नियम (6) या (7)	स्तर 4
96.	नियम 133ख के उप-नियम (8) का अननुपालन।	नियम 133 ख का उप-नियम(8)	स्तर 5
97.	नियम 134 के उप-नियम (1 क) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का उल्लंघन या अननुपालन।	नियम 134 का उप-नियम(1 क)	स्तर 8
98.	द्विपक्षीय समझौते या अस्थायी प्राधिकरण के तहत अनुज्ञा से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन या अननुपालन।	नियम 134 का उप-नियम (2)	स्तर 3
99.	नियम 134 क के तहत लगाए गए किसी भी निबंधन और शर्त का अननुपालन।	नियम 134 क का उप-नियम (1)	स्तर 6
100.	नागर विमानन महानिदेशालय अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या अनुमोदन प्राप्त व्यक्ति द्वारा नियम 134ख के उप-नियम (1) का उल्लंघन।	नियम 134ख का उप-नियम (1)	स्तर 8
101.	नियम 135 के उप-नियम (2), (2क), (2ख), (3) या (5) का अननुपालन।	नियम 135 का उप-नियम (2), (2क), (2ख), (3) या (5)	स्तर 3
102.	नियम 140 क का गैर-अनुपालन।	नियम 140क	स्तर 3
103.	नियम 140 ख के किसी भी उपबंध का अननुपालन।	नियम 140ख	स्तर 3
104.	नियम 140 ग का अननुपालन।	नियम 140ग	स्तर 5
105.	नियम 141 के उप-नियम (1) का अननुपालन।	नियम 141 का उप-नियम (1)	स्तर 3
106.	नियम 141 के उप-नियम (2) का अननुपालन।	नियम 141 का उप-नियम (2)	स्तर 1

107.	नियम 155 के किसी भी उपाबंध का अननुपालन।	नियम 155	स्तर 5
108.	नियम 155 क के उप-नियम (1) और (2) का अननुपालन।	नियम 155क का उप-नियम (1) और (2)	स्तर 5
109.	नियम 155 क के उप-नियम (3) और (4) का अननुपालन।	नियम 155क का उप-नियम (3) और (4)	स्तर 3
110.	नियम 155 क के उप-नियम (5), (6) और (7) का अननुपालन।	नियम 155क का उप-नियम (5), (6) या (7)	स्तर 5
111.	एक प्राधिकृत व्यक्ति को प्रवेश से इनकार।	नियम 156 का उप-नियम (5)	स्तर 6

3. अभिहित अधिकारियों द्वारा शास्ति के न्यायनिर्णयक के लिए प्रक्रिया—

(क) अपनी इस समाधान पर कि व्यक्ति ने उपरोक्त सारणी 2 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन किया है, अभिहित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति पर, उसे सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत, मांग नोटिस के साथ, किए गए उल्लंघन की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए, नियमों के उन उपबंधों का विवरण देते हुए जिनका उल्लंघन किया गया है तथा इस प्रकार के दण्ड को अधिरोपित करने का कारण बताते हुए, लिखित में आदेश द्वारा, सारणी के पैरा 1 और 2 के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(ख) अभिहित अधिकारी, किसी व्यक्ति पर दण्ड अधिरोपण की कार्यवाही के लिए तब आगे नहीं बढ़ेगा, यदि, उसके संज्ञान में यह आता है कि यथास्थिति निलंबन अथवा अनुज्ञप्ति, प्रमाण पत्र अथवा अनुमोदन मामला के रद्दीकरण को, कार्रवाई के एक ही कारण पर उसी नियम के उल्लंघन के लिए, वायुयान अधिनियम, 1934 के खंड 10ख के क्रम में आरंभित किया गया है।

(ग) मांग नोटिस के साथ अभिहित अधिकारी द्वारा पारित शास्ति की एक प्रति, ऐसे व्यक्ति को, प्रदान किए जाने के किसी स्वीकृत ढंग द्वारा प्रदान की जाएगी।

(घ) खंड (क) के अधीन जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति, महानिदेशक द्वारा यथाअधिकथित रीति में एक हजार रूपए फीस के साथ प्ररूप ख में अपील कर सकेगा उस तारीख से तीस दिन को भी ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिहित अधिकारी आदेश की प्रति जारी कर सकेगा।

(ङ) अपील अधिकारी, अपीलार्थी को सुने जाने का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात, अभिहित अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, संशोधित अथवा उसे अपास्त करते हुए एक आख्यापक आदेश जारी करेगा।

(च) अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी तथा संबंधित अभिहित अधिकारी को प्रदान की जाएंगी।

(छ) अपील अधिकारी द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अभिहित अधिकारी, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश में शास्ति की रकम के लिए आदेश पारित किया गया है, संशोधित मांग नोटिस जारी करके आदेश को प्रभाव प्रदान करेगा।

(ज) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माने का भुगतान, ऐसे व्यक्ति द्वारा, उसे प्रदान किए गए मांग नोटिस के तीस दिन के भीतर, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के यथाअधिकथित रीति से किया जाएगा।

(झ) यदि, जिस व्यक्ति पर शास्ति लगाया गया है वह मांग नोटिस में निर्धारित समय में उसका भुगतान करने में विफल रहता है, तो, किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाण पत्र, प्राधिकरण, परमिट अथवा अनुमोदन भी यथा स्थिति हो के रद्दकरण अथवा निलंबन की कार्यवाही इन नियमों के अधीन प्रवर्तित किया जाएगा।

प्रारूप ख (नियम 162 देखें) अपील अधिकारी के समक्ष अपील हेतु प्रारूप		
1.	अपीलार्थी (ओं) का नाम	
2.	पता	
3.	ई-मेल	
4.	फोन न.	
5.	तारीख के साथ आदेश की सं. जिसके विरुद्ध अपील की गई है। (आदेश की प्रति लगाई जानी है)	
6.	आदेश जारी करने वाले नामित अधिकारी का नाम और पद	
7.	नियम जिनके उल्लंघन के लिए आदेश पारित किया गया था।	
8.	आदेश का प्रभावी भाग	
9.	अपीलार्थी द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख	
10.	30 दिनों की परिसीमा समयावधि के पूरा होने की तारीख	
11.	मामले के संक्षिप्त तथ्य	
12.	अपील के आधार	
13.	अपीलार्थी की प्रार्थना	
14.	फीस और संव्यवहार का विवरण	

सत्यापन

मैं _____, अपीलार्थी, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्तानुसार जो भी कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम

तारीख:

स्थान:

[फा. सं.एवी-29015/55/2015-डीजी]

सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम, अधिसूचना संख्या वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और सा.का.नि. 192 (अ), तारीख 12 मार्च, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित हुए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 16 मार्च, 2021 में प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2021

G.S.R. 327 (E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 42 (E), dated the 25th January, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 25th January, 2021;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period so specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5, sub-section (2) of section 10, section 10A and section 12A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937,—

- (i) in rule 3, clauses (47B), (47C), (47D) and clause (47E) shall be omitted;
- (ii) for rule 3B, the following rule shall be substituted, namely:—

“3B. Appeals. — (1) (i) Any person, aggrieved by an order passed by an officer in exercise of the powers conferred on him by these rules, may prefer an appeal, to an appellate officer having jurisdiction in the matter and is next higher in rank to the officer who has passed such order, within a period of thirty days from the date on which the copy of the said order is received by him.

(ii) The appellate officer may after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such order as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against.

(2) (i) Where any person is aggrieved by an order passed by an appellate officer under sub-rule (1), he may further prefer an appeal against such order, before the officer next senior to the appellate officer and having jurisdiction in the matter, within a period of thirty days from the date on which the copy of the said order is received by him.

(ii) The officer next senior to the appellate officer as referred to in sub-clause (i), may after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such order as he thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), —

(i) in case of an order passed by the Director-General, the appeal shall lie to the Secretary to the Government of India in the Ministry dealing with the Civil Aviation matters and no further appeal shall lie against such order of the said Secretary.

(ii) no further appeal shall lie against the order imposing penalty, passed by the appellate officer, under the provisions of section 10A of the Aircraft Act, 1934 and rule 162 of these rules.

(iii) an order issued under section 5A of the Aircraft Act, 1934 shall not be appealable under this rule.”;

(iii) rule 15A shall be omitted;

(iv) for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

“20. Certain rules not applicable to Gliders and Kites. — The rule 7 shall not apply to gliders, and rules 5, 6, 7, 12, 15, 17, 19 and the rules in Part III, with the exception of rule 26, shall not apply to kites.”;

(v) for rule 161, the following rules shall be substituted, namely:—

“161. Offences and Compounding. — (1) For the purposes of sub-section (2) of section 10 of the Aircraft Act, 1934, the Central Government directs that any person, who has breached any rule as specified in Table 1 of Schedule VIA of these rules, shall be punishable with the penalty as specified in paragraph 1 of that Schedule.

(2) It shall be a defence in any proceedings for contravention of or failure to comply with these rules that such contravention or failure is caused or happened due to factors or circumstances beyond the control of the person referred to in sub-rule (1) or without the knowledge or fault of such person.

Explanation. — For the removal of doubts it is hereby clarified that for the purposes of this sub-rule, the expression ‘factors or circumstances’ may include, stress of weather, bonafide error or such other unavoidable factors or circumstances.

(3) Subject to the provisions of section 12A of the Aircraft Act, 1934, Offences punishable under sections 10, 11, 11A, 11B and section 12 of the said Act and rules as specified in schedule VIA to these rules, may be compounded by the Director-General or any other officer specially empowered under sub-section (4) of section 4A of the said Act, in accordance with the procedure as laid down in the said Schedule.

162. Penalties. — (1) Any person who has contravened any rule as specified in Schedule VIB of these rules, shall be liable for imposition of penalty to the extent as laid down in such Schedule and in accordance with the provisions of section 10A of the Aircraft Act, 1934.

(2) The penalty shall be adjudicated by the designated officers or the appellate officer, as the case may be, in accordance with the procedure as laid down in the said Schedule.”;

(vi) for Schedule VI, the following Schedules shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE VIA

(See rule 161)

Punishment and Compounding of Offences

1. Offences punishable under the Aircraft Rules, 1937 with imprisonment for a term not exceeding two years or with fine not exceeding one crore rupees, or with both and amount for compounding thereof: —

Table 1

SI. No.	Nature of offence	Relevant rule	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Flying an aircraft without registration.	Clause (a) of rule 5	Twenty-five Lakh
2.	Contravention of clause (1) of rule 5A.	Clause (1) of rule 5A	Twenty-five Lakh
3.	Non-compliance with rule 6 by a person (except Student Pilot of Flying Training Organisation) who has not been licenced under these rules.	Rule 6	Twenty Lakh
4.	Non-compliance with any of the provision of rule 7A.	Rule 7A	Five Lakh
5.	Contravention of sub-rule (1) of rule 8.	Sub-rule (1) of rule 8	Non-compoundable
6.	Contravention of sub-rule (1) of rule 12.	Sub-rule (1) of rule 12	Five Lakh
7.	Aerial survey photography from an aircraft in flight without permission.	Rule 13	Two Lakh
8.	Contravention of rule 21A.	Rule 21A	Five Lakh

9.	Contravention of clause (a) of rule 22.	Clause (a) of rule 22	Fifty Thousand
10.	Contravention of clause (b) of rule 22.	Clause (b) of rule 22	Twenty-five Thousand
11.	Contravention of sub-rule (1) of rule 23.	Sub-rule (1) of rule 23	One Lakh
12.	Consumption of intoxicating and psychoactive substances in the course of flight.	Sub-rule (1) of rule 24	Non-compoundable
13.	Contravention of sub-rule (2) of rule 24 by the passenger.	Sub-rule (2) of rule 24.	Twenty-five Thousand
14.	Contravention of sub-rule (3) of rule 25	Sub-rule (3) of rule 25.	Ten Thousand
15.	Carriage of persons in unauthorised parts of aircraft without permission.	Rule 27	Twenty Lakh
16.	Flying an aircraft in contravention of rule 28.	Rule 28	Five Lakh
17.	Contravention of the provisions of rule 29.	Rule 29	One Lakh
18.	Imparting of training by unapproved Flying Training Organisation in contravention of sub-rule (1) of rule 41B.	Sub-rule (1) of rule 41B	Twenty-five Lakh
19.	Non-surrender of Licence under sub-rule (3) of rule 39A.	Sub-rule (3) of rule 39A	Fifty Thousand
20.	Contravention of sub-rule (1) of rule 65.	Sub-rule (1) of rule 65	Five Lakh
21.	Contravention of sub-rule (2) of rule 65.	Sub-rule (2) of rule 65	One Lakh
22.	Non-compliance with the direction to extinguish or screen false lights.	Rule 66	Two Lakh
23.	Contravention of sub-rule (1) of rule 90.	Sub-rule (1) of rule 90	Fifty Thousand
24.	Contravention of sub-rule (2) of rule 90.	Sub-rule (2) of rule 90	Two Lakh
25.	Operation of a scheduled air transport service without permission.	Sub-rule (1) of rule 134	Twenty-five Lakh
26.	Operation of non-scheduled air transport service without the special permission or Non-Scheduled Operator's Permit	Sub-rules (1) or (2) of rule 134A	Fifteen Lakh
27.	Contravention of sub-rule (1) of rule 134B by the person other than the person having any Licence or Certificate or Approval issued under these rules.	Sub-rule (1) of rule 134B	Five Lakh
28.	Contravention of provisions of rule 157.	Rule 157	Ten Lakh
29.	Contravention of rule 158.	Rule 158	Ten Lakh
30.	Contravention of rule 158A.	Rule 158A	Ten Lakh
31.	Obstructing any person acting in the exercise of his powers or in discharge of his duties under the provisions of the Aircraft Rules, 1937.	Rule 159	Five Lakh

2. Amount for compounding of offences punishable under sections 10, 11, 11A, 11B and section 12 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934): —

Table 2

SI.No.	Offence and relevant section	Amount for compounding of offence committed by individual (in rupees)
1.	Offence punishable under sub-section (1) of section 10 (except the offences related to carriage of arms and explosives)	Twenty-five Lakh
2.	Offence punishable under sub-section (1A) of section 10	Twenty-five Lakh
3.	Offence punishable under section 11	Twenty-five lakh
4.	Offence punishable under section 11A	Twenty-five lakh
5.	Offence punishable under section 11B	Twenty-five Lakh
6.	Penalty for abetment of offences and attempted offences under section 12	Amount provided for such offences

3. Where such offence has been committed by the organisation, the amount for compounding of offences shall be as under: —

Table 3

Contravention committed by	Number of employees	Amount for compounding of offences (in rupees)
Organisation (Small)	Up to fifty employees	200% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable.
Organisation (Medium)	More than fifty and up to one hundred employees	300% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable.
Organisation (Large)	More than one hundred employees	400% of the amount as provided for such offences by the individual in paragraph 1 and 2, as applicable.

Note: — (1) “Individual” means a natural person.

(2) “Organisation” means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) “Employee” means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

4. Procedure for compounding of offences. —

(a) An application for compounding of an offence shall be made by the applicant to the Director-General or any officer specially empowered by the Central Government in this behalf in Form A along with the fee of one thousand rupees in the manner as laid down by the Director-General.

(b) On receipt of the application for compounding, such officer shall examine the application based on the documents submitted and submissions made in the application.

(c) Such officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the compounding proceedings and in case the contravener fails to submit the additional information or documents called for within the specified period, the application for compounding shall be liable for rejection.

(d) Such officer may issue notice to all the concerned of the case to participate in the proceedings.

(e) During the compounding proceedings, such officer after giving due opportunity to the applicant of being heard, shall determine the amount for compounding of offence in accordance with the Tables of paragraphs 1, 2 and paragraph 3 and where the decision of such officer in respect the amount so determined is not acceptable to the applicant then the applicant shall submit the same in writing to such officer within three days or within such reasonable period as determined by such officer.

(f) After such submission by the applicant or non-submission within such reasonable time, the compounding proceedings shall cease and the matter shall be proceeded further in accordance with the provisions of the Aircraft Act, 1934 and these rules and the Officer shall prepare a report in respect of these proceedings.

(g) The amount for which the contravention is compounded shall be paid in the manner as specified by the Director-General within the thirty days of the date of decision of compounding.

(h) In case a person fails to pay the amount for compounding within thirty days of the order, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any offence under the provisions of the Aircraft Act, 1934 and these rules.

(i) The process of compounding of offences shall be completed expeditiously and not later than sixty days from the date of application and this period of sixty days may be extended up to ninety days by the Director-General, for reasons to be recorded in writing, in exceptional circumstances.

FORM A		
(See rule 161)		
Application for compounding of Offence		
1.	Name(s) of the Applicant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	The Authority before whom the case is pending :	
6.	Contravention of sections or rules	
7.	Brief facts of the case	
8.	Any other information relevant to the case	
9.	Prayer of the Applicant	
10.	Fee and transaction details	
11.	Attachment, if any	

Verification

I _____, the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Applicant

Date:

Place:

SCHEDULE VIB*(See rule 162)***Penalties****1. Classification of severity levels of contravention and penalty thereof: —****Table 1**

SI. No.	Severity Level (in rupees)	Individual	Organisation (Small)	Organisation (Medium)	Organisation (Large)
			Up to fifty employees	More than fifty and up to one hundred employees	More than one hundred employees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Level 1	Ten Thousand	Fifty Thousand	Seventy-five Thousand	One Lakh
2.	Level 2	Twenty Thousand	One Lakh	One Lakh Fifty Thousand	Two Lakh Fifty Thousand
3.	Level 3	Fifty Thousand	Two Lakh	Three Lakh	Five Lakh
4.	Level 4	Seventy-five Thousand	Three Lakh	Five Lakh	Ten Lakh
5.	Level 5	One Lakh Fifty Thousand	Five Lakh	Ten Lakh	Twenty Lakh
6.	Level 6	Three Lakh	Seven Lakh Fifty Thousand	Fifteen Lakh	Thirty Lakh
7.	Level 7	Five Lakh	Ten Lakh	Twenty-five Lakh	Fifty Lakh
8.	Level 8	Ten Lakh	Twenty Lakh	Thirty-five Lakh	Seventy Lakh
9.	Level 9	Twenty Lakh	Thirty-five Lakh	Fifty Lakh	Eighty-five Lakh
10.	Level 10	Twenty-five Lakh	Fifty Lakh	Seventy-five Lakh	One Crore

Note: — (1) “Individual” means a natural person.

(2) “Organisation” means a body corporate or an association of individuals whether registered or not.

(3) “Employee” means an individual appointed, employed or engaged by the organisation whether contractual, temporary or permanent.

2. Contravention of rule(s) and severity level thereof, for determination of penalty amount by the designated officers or the appellate officer, as the case may be.**Table 2**

SI. No.	Nature of contravention	Relevant rule (s)	Severity level of contravention/ violation/ non- compliance
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Flying an aircraft not bearing nationality and registration marks.	Clause (b) of rule 5	Level 10
2.	Flying an aircraft in prohibited territory under clause (2) of rule 5A.	Clause (2) of rule 5A	Level 5
3.	Non-compliance with rule 6 by a person (except Student Licence holder) holding licences, rating and medical fitness assessment issued under these rules but the validity of the same is either expired or the privileges of the same have been restricted under the provisions of these rules.	Rule 6	Level 5

4.	Non-compliance with rule 6A (except Students Pilot Licence)	Rule 6A.	Level 5
5.	Non-carriage of documents as required by rule 7.	Rule 7	Level 4
6.	Non-carriage of Cock-pit Check Lists and Emergency Check Lists.	Rule 7B	Level 4
7.	Non-compliance with sub-rules (2) or (3) of rule 8.	Sub-rules (2) or (3) of rule 8	Level 6
8.	Contravention of sub-rule (1) of rule 9.	Sub-rule (1) of rule 9	Level 4
9.	Contravention of sub-rules (1), (2) or (3) of rule 11.	Sub-rules (1), (2) or (3) of rule 11	Level 10
10.	Contravention of sub-rules (2), (3) or (4) of rule 12.	Sub-rules (2), (3) or (4) of rule 12	Level 5
11.	Photography at a Government aerodrome without permission.	Rule 13	Level 3
12.	Unauthorised use of aircraft for aerial work.	Rule 14	Level 8
13.	Non-compliance with clause (i) and/or proviso of rule 15.	Clause (i) or proviso to rule 15	Level 10
14.	Non-compliance with clause (ii) or (iii) of rule 15.	Clause (ii) or (iii) of rule 15	Level 6
15.	Non-compliance with clause (iv) of rule 15.	Clause (iv) of rule 15	Level 4
16.	Non-compliance with the rules of the air.	Rule 16	Level 3
17.	Non-production of the documents as required by rule 17 within the prescribed time.	Rule 17	Level 2
18.	Contravention of directions issued under sub-rule (1) of rule 18.	sub-rule (1) of rule 18	Level 8
19.	Contravention of rule 21	Rule 21	Level 8
20.	Contravention of sub-rule (2) of rule 24 by the Operator.	Sub-rule (2) of rule 24.	Level 10
21.	Contravention of rules 24A, 24B or 24C.	Rules 24A, 24B or 24C	Level 2
22.	Contravention of sub-rules (1) or (2) of rule 25.	Sub-rules (1) or (2) of rule 25	Level 2
23.	Contravention of sub-rule (1) of rule 25A.	Sub-rule (1) of rule 25A	Level 4
24.	Contravention of sub-rule (2) of rule 25A.	Sub-rule (2) of rule 25A	Level 3
25.	Contravention of sub-rule (1) of rule 25B.	Sub-rule (1) of rule 25B	Level 5
26.	Contravention of sub-rule (2) of rule 25B.	Sub-rule (2) of rule 25B	Level 4
27.	Contravention of any of the provision of rule 26	Rule 26	Level 7
28.	Contravention of the conditions specified under proviso (b) of rule 27	Proviso (b) of rule 27	Level 6

29.	Flying an aircraft in contravention of any of the provision of rule 28A.	Rule 28A	Level 7
30.	Contravention of rule 29A.	Rule 29A	Level 7
31.	Contravention of sub-rule (1) of rule 29B.	Sub-rule (1) of rule 29B	Level 7
32.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 29B.	Proviso of sub-rule (3) of rule 29B	Level 7
33.	Fly or assist in flying of aircraft without obtaining permission under clause (b) of rule 33.	Clause (b) of rule 33	Level 6
34.	Non-compliance with any of the provision of rule 37 other than the sub-clause (b) of clause (2) of rule 37.	Other than sub-clause (b) of clause (2) of Rule 37	Level 2
35.	Non-compliance of sub-clause (b) of clause (2) rule 37.	Sub-clause (b) of clause (2) of rule 37.	Level 7
36.	Contravention of any of the provision of rule 37A.	Rule 37A	Level 6
37.	Non-compliance with any of the provision of rule 38A.	Sub-rules (1), (2) or (3) of rule 38A	Level 5
38.	Non-compliance of sub-rules (1), (2), (4) or (7) of rule 38B.	Sub-rules (1), (2), (4) or (7) of rule 38B	Level 7
39.	Non-compliance of sub-rules (3), (5), (6) or (8) of rule 38B.	Sub-rules (3), (5), (6) or (8) of rule 38B	Level 2
40.	Non-compliance of rule 40.	Rule 40	Level 1
41.	Non-compliance with sub-rules (6) or (7) of rule 41B.	Sub-rules (6) or (7) of rule 41B.	Level 3
42.	Non-compliance with sub-rules (2) or (4) of rule 42.	Sub-rules (2) or (4) of rule 42	Level 4
43.	Non-compliance with sub-rule (2) of rule 42A.	Sub-rule (2) of rule 42A	Level 3
44.	Non-compliance with sub-rule (3) of rule 42A.	Sub-rule (3) of rule 42A	Level 9
45.	Contravention of sub-rules (1) or (5) of rule 52.	Sub-rules (1) or (5) of rule 52	Level 7
46.	Non-compliance of approved maintenance schedules or approved maintenance system in respect of aircraft, aircraft component and items of equipment.	Sub-rule (1) of rule 53	Level 3
47.	Inspection and certification by un authorised persons.	Sub-rule (1) of rule 53	Level 6
48.	Contravention of sub-rule (2) of rule 53.	Sub-rule (2) of rule 53	Level 4
49.	Non-compliance of rule 53A.	Rule 53A	Level 6
50.	Non-compliance of rule 54.	Rule 54	Level 6
51.	Non-compliance of any of the provision of rule 57.	Rule 57	Level 5
52.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 58.	Sub-rule (1) of rule 58	Level 3
53.	Contravention of sub-rule (2) of rule 58.	Sub-rule (2) of rule 58	Level 7
54.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 59.	Sub-rule of rule 59	Level 5
55.	Contravention of sub-rules (3) or (5) of rule 60.	Sub-rules (3) or (5) of rule 60	Level 6
56.	Noncompliance of sub-rule (4) of rule 60.	Sub-rule (4) of rule 60	Level 3

57.	Non-compliance with any of the provision of rule 63.	Rule 63	Level 5
58.	Non-compliance with the provisions governing the issue and maintenance of log books.	Rule 67	Level 4
59.	Contravention of any of the provision of rule 67A.	Rule 67A	Level 4
60.	Contravention of rule 67AA.	Rule 67AA	Level 2
61.	Destruction, mutilation etc. of any entry in the log books.	Rule 67B	Level 4
62.	Making of any false and fraudulent entry in the log books.	Rule 67B	Level 6
63.	Contravention of sub-rules (1), (1A) or (4) of rule 78.	Sub-rules (1), (1A) or (4) of rule 78.	Level 10
64.	Non-compliance any of the provision of rule 81.	Rule 81	Level 3
65.	Denial of access to an authorised person for inspection.	Sub-rule (2) of rule 82	Level 3
66.	Contravention of sub-rule (2) of rule 8	Sub-rule (2) of rule 83	Level 6
67.	For not maintaining an aerodrome in a fit state with adequate markings and not informing the Director-General of any unserviceability.	Sub-rule (5) of rule 83	Level 5
68.	Contravention of sub-rule (1) of rule 93.	Sub-rule (1) of rule 93	Level 10
69.	Contravention of sub-rule (1) of rule 97.	Sub-rule (1) of rule 97	Level 8
70.	Non-compliance of rule 98.	Rule 98	Level 6
71.	Contravention of rule 102.	Rule 102	Level 3
72.	Exercise of the privileges of the licence in the absence of a valid medical fitness assessment.	Rule 105	Level 5
73.	Contravention of any of the provision of rule 106.	Rule 106	Level 4
74.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 107.	Sub-rule (1) of rule 107	Level 6
75.	Contravention of rule 108.	Rule 108	Level 4
76.	Contravention of rule 113	Rule 113	Level 3
77.	Non-compliance of sub-rules (2), (5) or (6) of rule 114.	Sub-rules (2), (5) or (6) of rule 114	Level 5
78.	Non-compliance with any of the provision of rule 115.	Rule 115	Level 5
79.	Non-compliance of rule 116	Rule 116	Level 2
80.	Contravention of rule 117	Rule 117	Level 5
81.	For permitting or cause to be permitted any sub-rule communication, navigation and surveillance of air traffic management equipment facility to be established or used without being certified by the Director-General.	Sub-rule (1) of rule 119	Level 6
82.	Non-compliance with any of the provision of rule 122.	Rule 122	Level 3
83.	Non-compliance of sub-rules (2) or (4) of rule 125.	Sub-rules (2) or (4) of rule 125	Level 5
84.	Non-compliance of rule 126.	Rule 126	Level 2
85.	Non-compliance of rule 127.	Rule 127	Level 2
86.	Non-compliance with any of the provision of rule 128.	Rule 128	Level 5

87.	Non-compliance with any of the provision of rule 129.	Rule 129	Level 3
88.	Non-compliance with any of the provision of rule 130.	Rule 130	Level 2
89.	Non-compliance of rule 131.	Rule 131	Level 3
90.	Non-compliance with the directions issued under rule 133A.	Sub-rule (3) of rule 133A	Upto Level 6. In case penalty has already been provided in any rule for the same contravention, then, the penalty as specified for that rule shall prevail.
91.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 133B in respect of facilities including necessary equipment for tests and inspection aids.	Sub-rule (2) of rule 133B	Level 5
92.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 133B in respect of qualified and trained staff.	Sub-rule (2) of rule 133B	Level 7
93.	Conduct of activities as mentioned in clause (a) of sub-rule (1) without obtaining prior approval under sub-rules (3) or (3B) of Rule 133B.	Sub-rules (3) or (3B) of rule 133B	Level 8
94.	Non-compliance of sub-rules (4) or (5) of rule 133B.	Sub-rules (4) or (5) of rule 133B.	Level 3
95.	Non-compliance of sub-rules (6) or (7) of rule 133B.	Sub-rules (6) or (7) of rule 133B	Level 4
96.	Non-compliance of sub-rule (8) of rule 133B.	Sub-rule (8) of rule 133B	Level 5
97.	Contravention of or non-compliance with any of the conditions specified in the order under sub-rule (1A) of rule 134.	Sub-rule (1A) of rule 134	Level 8
98.	Contravention of or non-compliance with the conditions attached to the permission under the bilateral agreement or to the temporary authorisation.	Sub-rule (2) of rule 134	Level 3
99.	Non-compliance with any of the term and condition imposed under rule 134A.	Sub-rule (1) of rule 134A	Level 6
100.	Contravention of sub-rule (1) of rule 134B by the person having Directorate General of Civil Aviation licence or certificate or approval.	Sub-rule (1) of rule 134B	Level 8
101.	Non-compliance of sub-rules (2), (2A), (2B), (3) or (5) of rule 135.	Sub-rules (2), (2A), (2B), (3) or (5) of rule 135	Level 3
102.	Non-compliance of rule 140A.	Rule 140A	Level 3
103.	Non-compliance with any of the provision of rule 140B.	Rule 140B	Level 3
104.	Non-compliance of rule 140C.	Rule 140C	Level 5
105.	Non-compliance of sub-rule (1) of rule 141.	Sub-rule (1) of rule 141	Level 3
106.	Non-compliance of sub-rule (2) of rule 141.	Sub-rule (2) of rule 141	Level 1
107.	Non-compliance with any of the provision of rule 155.	Rule 155	Level 5
108.	Non-compliance of sub-rules (1) or (2) of rule 155A.	Sub-rules (1) or (2) of rule 155A.	Level 5

109.	Non-compliance of sub-rules (3) or (4) of rule 155A.	Sub-rules (3) or (4) of rule 155A.	Level 3
110.	Non-compliance of sub-rules (5), (6) or (7) of rule 155A.	Sub-rules (5), (6) or (7) of rule 155A.	Level 5
111.	Denial of access to an authorised person.	Sub-rule (5) of rule 156	Level 6

3. Procedure for adjudication of penalty by designated officers: —

(a) The designated officer upon his satisfaction that a person has contravened any of the rule as specified in the Table 2 under paragraph 2 above, he may, after giving a reasonable opportunity of being heard to such person, by an order in writing, impose penalty in accordance with Tables 1 and 2 under paragraphs 1 and 2 respectively, upon such person, stating the nature of contravention, the provision of rules which have been contravened and the reasons for imposing such penalty along with the demand notice.

(b) The designated officer shall not proceed for imposition of penalty against a person, where it comes to his notice that the proceeding for suspension or cancellation of license, certificate or approval as the case may be, has been initiated in pursuance of the section 10B of the Aircraft Act, 1934, for contravention of same rule on same cause of action.

(c) A copy of penalty order passed along with the demand notice by the designated officer shall be served upon such person by a recognised mode of service.

(d) The person aggrieved by the order issued under clause (a), may prefer an appeal in the Form B along with the fee of one thousand rupees in the manner as laid down by the Director-General, within thirty days from the date on which the copy of order issued by the designated officer is received by such person.

(e) The appellate officer may, after giving an opportunity of being heard to the appellant, pass a speaking order, confirming, modifying or setting aside the order issued by the designated officer.

(f) The copy of appellate order passed by appellate officer shall be provided to the appellant and the concerned designated officer.

(g) The designated officer, within thirty days from the date of the receipt of such order passed by the appellate officer, shall grant the effect to the order by issuing a revised demand notice to the person against whom the order has been passed for the amount of penalty imposed in the order.

(h) The penalty thus imposed shall be paid by such person in the manner as laid down by the Director-General within thirty days of the service of demand notice upon the person.

(i) In case the person on whom the penalty is imposed fails to pay such amount of penalty within the time as stipulated in demand notice, then, the proceeding for cancellation or suspension of any licence, certificate, authorisation, permit or approval, as the case may be, may be initiated under these rules.

FORM B (See rule 162) Form of appeal to the Appellate Officer		
1.	Name(s) of the Appellant	
2.	Address	
3.	Email Address	
4.	Phone No.	
5.	Order No. with Date, against which the appeal is preferred (copy of the order to be enclosed)	

6.	Name and Post of the designated Officer by whom the order is passed	
7.	Contravention of rules for which order was passed	
8.	Operative part of order	
9.	Date on which the copy of order received by the appellant	
10.	Date of completion of 30 days Limitation period	
11.	Brief facts of the case	
12.	Grounds of Appeal	
13.	Prayer of the Appellant	
14.	Fee and transaction details	

Verification

I _____, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Appellant

Date:

Place:

[F. No. AV-29015/55/2015-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 192(E), dated the 12th March, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th March, 2021.